

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

राय सिंह

विपक्षी

नोजीबाई

कदमा

212 P.F.No.

पत्रावली संख्या 73/19 सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

16/9/20

पत्रावली प्राप्त हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पत्रावली प्रेषण द्वारा अति आवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के आदेश पत्र देने के के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....10/12/20 को पेश हो।

10/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....15/4/21 को पेश हो।

15/4/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....29/7/21 को पेश हो।

शपथीय  
अवकाश

29/7/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....2/12/21 को पेश हो।

2/12/21

2/11/21

पत्रावली पेश की गयी। 'प्रशासन गांवों के बीच अभियान-2021' का आयोजित किया जाने से पत्रावली में अतिवृत्त पत्रावली को सूचित किया जाकर पत्रावली के म. भोजपुरी दिनांक 2/11/21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली



12/11/21

में पेश हुई।  
व्य राजी-  
पत्रावली  
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय  
हाजा में दिनांक-12/2/22 को  
पेश हों।

— —  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली.

21/12/21

पत्रावली मूल वाद के साथ प्रशासन गांवी  
के संग अभियान कैम्प वीरधोलिया में ललब  
की गई। मूल वाद आज दिनांक की  
राजीनामा हो जाने से ड्रॉप किया जा  
चुका है। प्र.पत्र आदेश 23 नियम 1 का की  
शामिल फाइल रहे। प्रार्थी की पहचान उनके  
अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र उग्री द्वारा की  
गई। अतः प्रकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही  
नहीं चाहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी  
स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। प्रकरण में पूर्व  
में जारी अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा हटाई  
जाती है। पत्रावली फिसल सुमाट लेकर  
नम्बर से कम हों।

निर्णय सुनाया गया।